

फा.सं. जेड-11012/3/2020-डीडी-1
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिरक्षण विभाग

5 वां तल, पं दीन दयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110 003
दिनांक: 24.11.2023

सेवा में,
सभी कार्यान्वयन एजेंसियां

विषय: एडिप योजना के तहत सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की खरीद।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एडिप योजना की सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को केवल एलिम्को से सहायक यंत्र और उपकरण की खरीद/क्रय अपेक्षित है।

2. एलिम्को के पास सहायक यंत्र और सहायक उपकरण उपलब्ध न होने की स्थिति में और यदि वे उत्पाद किसी अन्य जगह से अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हों तो कार्यान्वयन एजेंसियां सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार इन्हें खरीद सकती हैं।
3. इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियां उपर्युक्त निदेशों का पालन करें।
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(संदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

- i. सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
- ii. संयुक्त सचिव (आरवाई) के प्रधान निजी सचिव।